न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 255/2020 तारीख रजू 16.12.2020

जगन्नाथ पुत्र चतरू जाति मीना नि0 सांवलपुर तह.खण्डार । ---- अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार । ---- रेस्पोडेन्ट

उपस्थित – गोविन्द प्रसाद मथुरिया एड0 – अपीलार्थीगण
पेरोकार राजस्व – रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक 18/8/22

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मिसल संख्या 88/20 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता कर निर्णय की टाईटल बॉडी में गलत प्रकार से अपीलार्थी का नाम जोड कर ग्राम सांवलपुर की आराजी खसरा नम्बर 361 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0मु0 चरागाह पर जिन्स जोत कर सम्वत् 2077 में अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित किये जाने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए नोटिस की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत व खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिकमी मानने में कानूनी भूल की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2020 को प्रथम दृष्टया अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी पावण्डी द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध न तो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट ही पेश की है और न ही प्रार्थी को पश्चात्वर्ती अतिचारी ही माना है और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के खिलाफ दण्डादेश पारित किया है बल्कि उक्त समस्त कार्यवाही किसी रामभरत पुत्र सियाराम मीना निवासी सांवलपुर के खिलाफ की गई है अधीनस्थ न्यायालय की गलती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

व लापरवाही से प्रार्थी का नाम निर्णय की टाईटल बॉडी में गलत प्रकार से अपीलार्थी का नाम जोड दिये जाने से अपीलार्थी के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी कर और अपीलार्थी को बेवजह सजा भुगताने पर आमादा है। जो कि सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयंमेव ही गलत व अवैधानिक होने के कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान् वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत् रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है जिसकी पालना में बावजूद तामील अपीलार्थी अतिक्रमी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अतिचार न होने बाबत अपना कोई पक्ष या प्रमाण प्रस्तुत किया है पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से अतिचारी का पूर्ववर्ती अतिचार सिद्ध है तथा अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। पूर्व अतिचार के संबंध में बेदखल किये जाने का निर्णय अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में लिपिकीय त्रुटि के कारण अतिक्रमी जगन्नाथ पुत्र चतरू के स्थान पर रामभरत पुत्र सियाराम मीना हो गया किन्तु प्रकरण में कोई त्रुटि नही है अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय सुनाया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

विद्वान् वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने, अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्ध अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामीली अपीलार्थी स्वयं को दी गई। जिससे अपीलार्थी का यह कथन कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया, मान्य नहीं है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2020 में अपीलार्थी जगन्नाथ पुत्र चतरू मीना के स्थान पर रामभरत पुत्र सियाराम मीना लिखे जाने का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई इस प्रकार की अहम भूल के लिए अपीलार्थी के विरूद्ध दण्ड की समीक्षा जब तक नहीं की जा सकती है तब तक कि अधीनस्थ न्यायालय अपने पूर्व में दिये गये निर्णय में लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त ना कर ले।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण इस आधार पर प्रति प्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली का उपलब्ध दस्तावेजों को सही रूप से अवलोकन करने के पश्चात् दोनो पक्षों को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 18/8/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:57:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर